



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थनिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110016



क्रमांक. एफ 21(01)/ला.ब.शा.रा.सं.वि./हि.रा.भा./2021-22/1391

दिनांक 28.11.2025
०१.१२

कार्यालय आदेश

सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के सभी विभागों/अनुभागों को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी 17 दस्तावेज जैसे:- दिन-प्रति-दिन के सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएँ, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, एम.ओ.ए., भर्ती नियम (आर.आर.), संसदीय प्रश्न, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञापन, लाइसेंस(अनुज्ञप्ति), परमिट (अनुज्ञा पत्र), नियुक्ति पत्र एवं कार्यवृत्त आदि सभी द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेज़ी) में जारी करने पर जोर दिया जाए। अपने विभाग/अनुभाग में उपयोग होने वाली फ़ाइल कवर में नियमित उपयोग की जाने वाली हिन्दी-अंग्रेज़ी एवं अंग्रेज़ी- हिन्दी शब्दावली की सूची भी प्रदर्शित की जाए।

यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति उपरांत निर्गत किया जा रहा है।

सहायक कुलसचिव (हिन्दी प्रकोष्ठ)

प्रतिलिपि :-

1. समस्त पीठाध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग
3. कुलपति / कुलसचिव जी के निजी सचिव
4. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा समस्त विभागों एवं अनुभागों को व्हाट्सएप्प के माध्यम से सूचित करने का काष्ट करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी
6. सम्बंधित पत्रावली

(Handwritten Signature)

सहायक कुलसचिव (हिन्दी प्रकोष्ठ)

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)
01/12/2025